

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित वादों की अद्यतन स्थिति माह 07/2021

क्रमांक	वादों की स्थिति	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	मा0 श्रम न्यायालय	अन्य	योग	अवमाननावाद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुल लम्बित वाद	87	3805	511	401	1960	6764	362
2	प्रतिशपथ पत्र दाखिल	63	3479	486	379	1878	6285	349
3	कुल अवशेष वाद	24	326	25	22	82	479	13
4	आवश्यकता नहीं	20	133	0	2	46	201	0
5	अवशेष वाद	4	193	25	20	36	278	13

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशाली अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार वादों की अद्यतन स्थिति माह 07-2021

क्र० सं०	संगठन का नाम	मा० सर्वोच्च न्यायालय				मा० उच्च न्यायालय				मा० लोक सेवा अधिकरण				मा० श्रम न्यायालय				अन्य			
		कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०	कुल वाद	दाखिल	शेष	आ०न०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सिविल संगठन																				
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	5	3	1	1	392	368	15	9	44	42	2	0	31	30	0	1	278	277	0	1
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	10	9	1	-	355	329	24	2	43	43	0	-	11	11		-	351	348	2	1
3	मु०अ०, गंगा, मेरठ	6	6	0	-	172	163	9	-	21	18	3	0	11	11		-	223	221	2	-
4	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	4	4	0	-	205	192	13	-	52	50	2	-	83	75	8	-	155	151	4	-
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	-	-	-	-	165	156	7	2	32	29	3	0	11	11	0	-	68	66	2	-
6	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	15	13	2	-	197	187	10	-	16	15	1	-	4	4	-	-	153	153	0	-
7	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	3	3	-	-	150	134	9	7	29	28	1	-	41	36	4	1	120	113	4	3
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	3	3	0	-	181	148	13	20	38	38	0	-	33	33	0	-	167	165	2	0
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झांसी	2	2	-	-	128	108	20	0	8	7	1	-	23	23	-	-	44	43	1	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	4	3	0	1	118	102	4	12	18	13	5	-	22	19	3	-	65	43	6	16
11	मु०अ०, बेतवा, झांसी	1	1	0	-	118	113	5	-	14	10	4	-	25	21	4	-	50	44	6	-
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	2	1	-	1	98	83	1	14	10	10	-	0	1	1	-	-	46	42	1	3
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	3	3	0	-	67	59	8	-	20	19	1	-	7	7	0	-	54	52	2	-
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	3	0	-	3	37	32	0	5	5	5	0	-	2	2	-	-	21	21	0	-
15	मु०अ०कनहर, मिर्जापुर		-	-	-	33	33	0	-	0	0	-	-	0	0	-	-	2	2	-	-
16	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	20	17	3	0	3	3	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-
17	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	-	-	-	-	24	22	1	1	26	26	0	-	0	0	0	-	0	0	-	0
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	-	-	-	-	21	21	0	-	3	3	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, अनु० एवं सम०वा०सहा० लखनऊ	-	-	-	-	11	11	0	0	4	4	0	-	1	1	-	-	4	4	-	-
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	-	-	-	-	7	7	0	-	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	-	-	-	-	9	9	0	-	3	3	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, (बाद) लखनऊ	-	-	-	-	4	4	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
23	नि०उ०प्र०जल एवं भू०प्र०सं० लखनऊ	0	0	-	-	4	2	0	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु०अ०, आई०एस०ओ०, लखनऊ	-	-	-	-	2	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु०अ०, अनु० एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	2	1	1	-	3	2	1	0	-	-	-	-	1	1	0	-
26	मु०अ०, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	योग	61	51	4	6	2520	2303	143	74	394	370	24	0	317	296	19	2	1803	1747	32	24	
	यांत्रिक संगठन																					
27	मु0अ0, नलकूप वाराणसी	4	4	0	-	352	331	21	0	20	20	0	0	17	17	0	_	44	42	0	2	
28	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	6	6	0	0	307	296	10	1	30	30	0	-	9	9	_	_	39	36	3	_	
29	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	0	0	-	_	238	227	11	_	25	25	0	_	13	13	_	_	12	12	0	_	
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	4	2	0	2	281	244	8	29	35	34	1	_	26	25	1	_	53	33	1	19	
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	12	0	_	12	107	78	0	29	7	7	0	_	19	19	0	0	9	8	0	1	
	योग	26	12	0	14	1285	1176	50	59	117	116	1	0	84	83	1	0	157	131	4	22	
	महायोग	87	63	4	20	3805	3479	193	133	511	486	25	0	401	379	20	2	1960	1878	36	46	

कुल लम्बित वाद - 6764

प्रतिशपथ दाखिल- 6285

अवशेष- 278

आवश्यकता

नहीं-

201

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)

सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)

अधिशायी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)

अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)

मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ
विभिन्न न्यायालयों में लम्बित संगठनवार अवमाननावादों की अद्यतन स्थिति माह 07-2021

	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय				मा0 उच्च न्यायालय				मा0 लोक सेवा अधिकरण				मा0 श्रम न्यायालय				अन्य			
		कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न	कूल वाद	दाखिल	शेष	आ0न
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	सिविल संगठन																				
1	मु0अ0शारदा सहा0 लखनऊ	-	-	-	-	36	36	0	-	8	7	1	-	2	2	-	-	8	8	-	-
2	मु0अ0, सरयू-1, अयोध्या	-	-	-	-	21	21	0	-	3	3	0	-	-	-	-	-	0	0	-	-
3	मु0अ0, गण्डक, गोरखपुर	-	-	-	-	19	19	0	-	5	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	मु0अ0, सोन, चाराणसी	-	-	-	-	29	29	-	-	5	5	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	मु0अ0, शारदा, बरेली	-	-	-	-	8	7	1	0	10	10	0	-	-	-	-	-	2	2	-	-
6	मु0अ0, रामगंगा, कानपुर	-	-	-	-	13	13	0	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
7	मु0अ0, यमुना ओखला नई दिल्ली	-	-	-	-	9	8	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	मु0अ0, गंगा, मेरठ	-	-	-	-	5	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	मु0अ0, सरयू-2, गोण्डा	-	-	-	-	4	4	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	मु0अ0, मध्य गंगा, अलीगढ़	-	-	-	-	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	मु0अ0, बेतवा, झांसी	-	-	-	-	4	4	0	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	-	-	-	-	9	8	1	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	मु0अ0, अनु0 एवं सम0 वा0 सहा0 लखनऊ	-	-	-	-	1	1	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	मु0अ0, पूर्वी गंगा, मुरादाबाद	-	-	-	-	0	0	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	मु0अ0, परि0 बेतवा, झांसी	-	-	-	-	3	3	0	-	4	3	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-
16	मु0अ0 कनहर, मिर्जापुर	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	मु0अ0, अग्रिम नियो0, लखनऊ	-	-	-	-	3	1	2	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
18	मु0अ0, परिकल्प, लखनऊ	-	-	-	-	2	1	1	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20	मु0अ0, जल संसाधन, लखवऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	मु0अ0,अनु0 एवं नियो0,(बाढ) लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	-	-	-	-	0	-	0	-	1	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	175	169	6	0	47	42	5	0	2	2	0	0	13	13	0	0
	यांत्रिक संगठन																				
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	-	-	-	-	32	32	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	-	-	-	-	20	19	1	-	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	-	-	-	-	30	30	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	-	-	-	-	18	18	0	0	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	-	-	-	-	12	12	0	-	2	1	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	योग	0	0	0	0	112	111	1	0	13	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	0	0	0	0	287	280	7	0	60	54	6	0	2	2	0	0	13	13	0	0

कुल लम्बित वाद - 362

प्रतिशपथ दाखिल- 349

अवशेष
- 13

आवश्यकता
नही- 0
प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशासी अभियन्ता (वि0प्र0)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ

विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित अन्तिम/अनन्तिम आदेशों के अनुपालन की स्थिति माह 07-2021

क्र०सं 0	संगठन का नाम	कुल लम्बित वाद	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/अनन्ति म आदेश पारित किये गये।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/अनन्ति म आदेशों का अनुपालन कर दिया गया है।	ऐसे वादों की संख्या जिनमें अन्तिम/ अनन्तिम आदेशों का अनुपालन किया जाना शेष है।	वादों जिनमें अनुपालन शेष है।					वादों की संख्या जिनमें शासन से प्रतिवाद की अनुमति अपेक्षित है।	वादों की संख्या जिनमें प्रतिवाद अनुमति हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित नहीं है।
						जिनमें रिब्यू/स्पेशल अपील मा० उच्च न्यायालय में दाखिल कर दी है।	जिनमें एस०एल०पी ० दायर है।	वाद जिनमें कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।	वाद जिनमें याची का प्रत्यावेदन निस्तारण हेतु लम्बित है।			
									विभाग स्तर पर	शासन स्तर पर		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	मु०अ०शारदा सहा० लखनऊ	153	126	126	27	21	0	-	4	2	-	-
2	मु०अ०, सोन, वाराणसी	770	51	40	11	0	-	1	5	3	-	-
3	मु०अ०, गण्डक, गोरखपुर	24	24	22	2	-	-	-	-	-	-	-
4	मु०अ०, गंगा, मेरठ	433	51	42	9	1	0	-	3	5	0	-
5	मु०अ०, शारदा, बरेली	122	48	18	30	0	-	-	0	0	-	-
6	मु०अ०, सरयू-1, अयोध्या	343	13	6	1	5	1	-	-	0	1	1
7	मु०अ०, यमुना ओखला नई दिल्ली	386	18	18	0	10	9	-	2	4	2	2
8	मु०अ०, रामगंगा, कानपुर	422	28	21	7	-	-	-	-	-	-	-
9	मु०अ०, परि०बेतवा, झांसी	3	3	2	1	-	-	1	-	1	-	-
10	मु०अ०, मध्य गंगा, अलीगढ़	227	23	17	6	-	-	0	-	-	-	-
11	मु०अ०, बेतवा, झांसी	14	14	14	0	-	-	-	-	-	-	-
12	मु०अ०, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	52	4	4	0	-	-	-	-	-	-	-
13	मु०अ०, सरयू-2, गोण्डा	8	3	2	6	3	-	-	1	-	-	-
14	मु०अ०, बाणसागर, प्रयागराज	3	3	1	0	-	2	-	-	-	1	-
15	मु०अ०कनहर, मिर्जापुर	35	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16	मु०अ०, अग्रिम नियो०, लखनऊ	50	3	48	-	-	-	-	-	0	1	-
17	मु०अ०, परिकल्प, लखनऊ	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
18	मु०अ०, जल संसाधन, लखनऊ	58	8	5	1	1	1	-	-	-	-	-
19	मु०अ०, अनु० एवं सम० वा० सहा० लखनऊ	20	0	20	-	-	-	-	-	-	-	-
20	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अलीगढ़	20	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
21	मु०अ०, अनु० एवं नियो०, अयोध्या	8	3	8	5	0	-	-	-	-	-	-
22	मु०अ०, अनु० एवं नियो० (बाद), लखनऊ	6	6	6	0	-	-	-	-	-	-	-

23	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	4	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
24	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	1	1	0	1	-	-	-	-	1	-	-
25	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	6	0	4	0	0	0	0	0	-	-	-
26	मु0अ0,राज्य अभियन्त्रण अकादमी.ओखला, नई दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	333	315	305	10	9	2	-	3	2	0	-
28	मु0अ0,नलकूप वाराणसी	437	54	21	33	29	1	0	2	0	1	-
29	मु0अ0,नलकूप मध्य, लखनऊ	409	128	89	39	37	0	0	1	0	1	0
30	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	399	47	19	28	18	1	8	0	1	0	0
31	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	154	52	4	44	31	12	1	3	1	1	-
	योग	4902	1028	864	262	165	30	11	24	20	8	3

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ

न्यायालयवार अवमाननावादों का विवरण जिसमें प्रतिशपथ पत्र दाखिल नहीं किया है। माह 07-2021

क्रम संख्या	संगठन का नाम	मा0 सर्वोच्च न्यायालय	मा0 उच्च न्यायालय	मा0 लोक सेवा अधिकरण	श्रम न्यायालय	अन्य न्यायालय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मु0अ0, बाणसागर, प्रयागराज	0	1	0	0	0	1
2	मु0 अ0 (यमुना) ओखला	0	1	0	0	0	1
3	मु0अ0, (परिकल्प) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
4	मु0अ0(अग्रिम नियोजन)लखनऊ	0	2	1	0	0	3
5	मु0अ0 (शारदा) बरेली	0	1	0	0	0	1
6	मु0 अ0 (नलकूप मध्य) लखनऊ	0	1	0	0	0	1
7	मु0अ0 (अनु0 एवं मूल्या) लखनऊ	0	0	1	0	0	1
8	मु0अ0, शारदा सहायक, लखनऊ	0	0	1	0	0	1
9	मु0अ0 (परियोजना बेतवा) झांसी	0	0	1	0	0	1
10	मु0अ0, (सरयू-2) गोण्डा	0	0	1	0	0	1
11	मु0 अ0 (सज्जा एवं सामग्री) लखनऊ	0	0	1	0	0	1
	योग	0	7	6	0	0	13

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशाली अभियन्ता (वि0प्र0)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ
अवशेष अवमाननावादों की सूची माह 07/2021 तक जिनमें प्रतिशपथ-पत्र दाखिल नहीं हुआ है।

क्रम संख्या	मण्डल खण्ड का नाम	अवमाननावाद संख्या व वर्ष	वादी का नाम पदनाम	प्रतिवादी का नाम व पद नाम	मूलवाद संख्या व वर्ष	पारित आदेशों को विवरण	प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की तिथि	प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने का कारण व अद्यतन स्थिति	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।									
मुख्य अभियन्ता (बाणसागर) प्रयागराज									
01	बासाननिखं-1, प्रयागराज	2245/2019	शालिनी यादव व अन्य	श्री आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, सचिव उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ	11039/2018	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक-16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है।	-	रिट याचिका संख्या- 11039/2018 में दिनांक-16-01-2020 को पारित आदेश का अनुपालन न किये जाने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया है। प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक- 2392/(1)ई-7/दिनांक-25-09-2019 के द्वारा मा0 न्यायालय के पारित आदेश की अनुपालना कर दी गयी है। मा0 न्यायालय को अनुपालना से अवगत कराने हेतु मुख्य स्थायी अधिवक्ता के फाइल (अवमाननावाद संख्या-2245/2019 शालिनी यादव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य) में रख दिया गया है। सुनवाई तिथि को स्थायी अधिवक्ता द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत करा दिया जायेगा। सम्भावित तिथि case is not on list उच्चाधिकारियों के द्वारा अनुपालन आख्या	-

								दाखिल करने निर्देश दिया गया है अनुपालन आख्या दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

मुख्य अभियन्ता (यमुना) ओखला।

02	सिंचाई खण्ड बड़ौत बागपत	1484 / 2019 मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	श्रीमति विनय कुमारी	उत्तर प्रदेश सरकार	48406 / 2019	मा0 उच्च न्यायालय के निर्णीत आदेश ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड हापुड़ के विघटन हो जाने के फलस्वरूप नव सृजित खण्ड सिंचाई खण्ड बड़ौत बागपत में समय से प्राप्त न हो पाने के कारण अवमानना वाद दायर हुआ।	कार्यवाही की जा रही है।	श्री शक्ति कुमार, भण्डार पाल का सेवा निवृत्ति पूर्व पत्नि के साथ मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में तलाक हेतु वाद चल रहा था, परन्तु श्री शक्ति कुमार ने अपनी अधिवर्षता आयु 30.09.2006 को पूर्ण होने के उपरान्त सेवा निवृत्त होने पर पेंशन प्रपत्र के देयक भुगतान के प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न किये गये पारिवारिक घोषणा पत्र में श्रीमति विनय कुमारी का नाम दर्शाते हुए दिनांक 01.11.1990 से मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल में संबंध विच्छेद का वाद विचाराधीन होना अंकित करते हुए पारिवारिक पेंशन में पत्नी के स्थान पर पुत्र को पेंशन प्रपत्र भाग-1 प नामित किया गया था। दिनांक 15.02.2008 को याची के पक्ष में निर्णय पारित किया है। श्रीमति विनय	
----	-------------------------	--	---------------------	--------------------	--------------	--	-------------------------	---	--

								कुमारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री शक्ति कुमार, भण्डारपाल की मृत्यु उपरान्त मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के पारित निर्णय के आधार पर वाद योजित किया गया, जिसका निर्णय ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण खण्ड के विघटन हो जाने के कारण, नवसृजित खण्ड सिंचाई खण्ड बड़ौत में देरी से प्राप्त हुए जिस कारण अवमाननावाद दायर हुआ।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

मुख्य अभियन्ता (परिकल्प) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

03	निदेशक, केन्द्रीय परिकल्प निदेशालय, लखनऊ/समन्वयकारी एवं जाँच खण्ड, लखनऊ	741/2020	बलराम, वर्क सुपरवाइजर	कुँ उपेन्द्र नाथ निदेशक, के0प0नि0, लखनऊ।	1964/1993	रिट याचिका संख्या-1964/एस0एस0/1993 में दिनांक-30-07-2019 को मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न होने पर अवमाननावाद दाखिल किया गया।	शासकीय अनिमति हेतु प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (कार्यप्रभारित अधिष्ठान प्रकोष्ठ) गंगा सिंचाई भवन तेलीबाग लखनऊ के पत्रांक-444/का0प्र0अ0प्र0/कोर्टकेस, दिनांक-27-02-2021 के द्वारा अवमाननावाद पर प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु शासकीय अनुमति प्राप्त करने के लिए प्रकरण सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-7, में विचाराधीन है। शासकीय अनुमति मिलने पर अमाननावाद संख्या-741/2020 पर प्रतिशपथ पत्र मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है।
----	---	----------	-----------------------	--	-----------	--	--	---

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

04	अनु0 एवं नियो0 मण्डल-4, लखनऊ	552/2020	शुभा सिंह	श्री विजय कुमार बसेडिया मुख्य अभियन्ता	रि0या0सं0-2473/एस0एस0/2016	मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक-05-02-2016 के अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।	अनुपालन शेष है। प्रतिशपथ-पत्र की आवश्यकता नहीं।	पिछली सुनवाई की तिथि-25-02-2020 निर्धारित थी अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है। विवाहित पुत्री को मृतक आश्रित के अन्तर्गत सेवा में लिये जाने के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता (कार्मक-4/6) द्वारा शासन से शासकीय आदेश निर्गत
----	------------------------------	----------	-----------	--	----------------------------	---	---	---

								करने का अनुरोध किया जा रहा है। अनुपालन किया जाना प्रक्रियाधीन है।
05	अनु० एवं नियो० मण्डल- 4, लखनऊ	1648/2020	कपिल किशोर लाल	श्री जितेन्द्र सिंह कन्नौजिया	रि०या०सं०- 6190/एस०एस ०/2020	-	अनुपालन आख्या स्थायी अधिवक्ता को प्रेषित कर दी गयी है।	याची श्री कपिल किशोर लाल, एकाउण्टेन्ट के देयको के सम्बन्ध में। पिछली सुनवाई की तिथि 01-12-2020 निर्धारित थी। अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं।

मुख्य अभियन्ता (शारदा) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, बरेली

06	लखनऊ खण्ड-2, शा०न० लखनऊ	1548/सी/201 6	श्री शेर सिंह कम्बोज	श्री सी०के० वर्मा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई	4173/एस०बी ०/2016	प्रत्यावेदन निस्तारित किया जायें	मा० न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर दिया गया है। अनुपालन कॉपी कोर्ट की फाईल में लगाई जा चुकी है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने कोई औचित्य नहीं है। सहायक अभियन्ता- प्रथम को स्थाई अधिवक्ता से सम्पर्क सीपित कर वाद को समाप्त कराने की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जा चुका है।	प्रोन्नति के सम्बन्ध में।	सिं०अनु ०-2
----	----------------------------------	------------------	-------------------------	--	----------------------	-------------------------------------	---	---------------------------	----------------

मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) लखनऊ।

7	नलकूप खण्ड-2, बरेली	2234/2020	अशोक कुमार शर्मा	देवेन्द्र अग्रवाल, प्रमुख अभियन्ता (याँ0)	14606/डब्लू0 ए0/2020	मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-07-01- 2021 द्वारा याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण प्रमुख अभियन्ता (याँ) महोदय द्वारा 04 माह में दिये जाने के आदेश	-	अवमाननावाद में आदेश दिनांक-07- 07-2021 में प्रतिवादी को 03 माह में याची के प्रत्यावेदन का निस्तारण किये जाने के आदेश देते हुए प्रश्रगत अवमाननावाद के निस्तारण के आदेश दिये गये है।	
---	---------------------------	-----------	---------------------	---	-------------------------	--	---	---	--

मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ।

मुख्य अभियन्ता (अनु0 एवं मूल्या0) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8	मूल नियन्त्रण प्रकोष्ठ, लखनऊ	285/2019	सोहन लाल सिंह, अवर अभियन्ता	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव, प्रमुख अभियन्ता श्री रंजनलाल मिश्रा, पेंशन निदेशालयसिंचाई	निर्देश याचिका सं0- 544/2017	सेवा जोड़ा जाना एवं तदर्थ लाभ दिया जाना	-	कार्यवाही की जा चुकी है।	-
---	---------------------------------------	----------	-----------------------------------	---	------------------------------------	--	---	--------------------------	---

मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

9	बाराबंकी प्रखण्ड शारदा नहर बाराबंकी	133/सी/2019	श्री साबिर अली	श्री टी0 वेंकटेश, प्रमुख सचिव सिंचाई	निर्देश याचिका सं0- 773/2014	निर्णय दिनांक-20-04- 2019 का अनुपालन न करने के सम्बन्ध में।	-	विधिक कार्यवाही की जा रही है।	-
---	--	-------------	-------------------	--	------------------------------------	---	---	-------------------------------	---

मुख्य अभियन्ता (परियोजना बेतवा) झांसी।

10	मौ0बां,नि0 खं0-1 महोबा	312/2019	श्री महेन्द्र सिंह	टी0 वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई	1923/ 2017	After appreciating each and every aspects of the matter i am of the considered		श्री महेन्द्र सिंह द्वारा वेतन विसंगतियों के सम्बन्ध में अनेकों रिट मा0 लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दायर की गयी, जिसमें दिनांक 16-10-2017 को न्यायालय द्वारा विभाग के पक्ष में दिये गये	
----	------------------------------	----------	-----------------------	------------------------------------	------------	---	--	--	--

					<p>opinion that the judgment and order under reference erroncous and the same may be challenged before te hon'ble High Court in writ petition under articale 226 of the constitution of India for which the matter may be referred to the Law department for necessary permission with the reasonable explanation regarding the caused in filling of the wirt petition न्याय विभाग की विधिक राय न प्राप्त होने के कारण प्रतिशपथ पत्र नहीं दाखिल हो सका कार्यवाही प्रगति में है।</p>	<p>निर्णय से याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह असंतुष्ट रहे तथा उनके द्वारा पुनः निर्देश याचिका संख्या-1923/2017 योजित की गयी। उक्त वाद में अधि अभि० मौ०बां०नि०ख०-प्रथम, महोबा ने पैरोकारी करते हुये लिखिल विवेचन/प्रतिशपथ प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के माध्यम से मा० लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में दाखिल किया गया, जिसमें दिनांक-28-03-2019 को याचीकर्ता श्री महेन्द्र सिंह के पक्ष में मा० न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध रिट याचिका योजित की जानी है अथवा नही के सम्बन्ध में मुख्य स्थायी अधिवक्ता उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ से परामर्श लेने हेतु शासन द्वारा निर्देशित किया गया। मा० न्यायालय से परामर्श प्राप्त होने से पूर्व उक्त रिट याचिका पर अनुपालना न होने के कारण अवमाननावाद सं०-312/2019 श्री टी० वेंकटेश प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, योजित हुआ। अवमाननावाद में शासन स्तर से न्याय विभाग द्वारा उक्त के क्रम में कतिपय संविधायें की गयी है। जिसकी कार्यवाही शासन स्तर पर प्रक्रिया में है। सुनवाई की आगामी तिथि प्रतीक्षित है।</p>
<p>मुख्य अभियन्ता (सरयू-2) गोण्डा ।</p>						

11	सरयू ड्रेनेज खण्ड-3, गोण्डा	002/2020	श्री राजवन्त शर्मा	उ० प्र० राज्य व ०अन्य	1533/2019	दिनांक- 16-09-2019 मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन न होने के कारण अवमाननावाद दायर किया गया।		अनुपालन आख्या दाखिल किये जाने सम्बन्धी कार्यवाही मा० लोक सेवा अधिकरण विभागीय प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा की जा रही है। सुनवाई तिथि 24-08- 2021	
----	-----------------------------------	----------	-----------------------	--------------------------	-----------	---	--	---	--

मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) लखनऊ।

12	अनु० एवं नियो० मण्डल- 4, लखनऊ	188/2016	सुशील कुमार जिन्दल	श्री सुरेश चन्द्रा व अन्य	निर्देश याचिका संख्या- 788/2004	-	अनुपालन शेष है।	याची से० नि० मुख्य अभियन्ता के उपादान, पेंशन एवं राशिकरण के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज से सम्बन्धित है ०९ प्रतिशत ब्याज के भुगतान अनुमति हेतु शासन स्तर से वित्त विभाग को पत्रावली प्रेषित की जा चुकी है। पिछली सुनवाई की तिथि दिनांक-08-04-2021 निर्धारित थी आगामी सुनवाई की तिथि 23-08- 2021 निर्धारित है।	
----	--	----------	--------------------------	------------------------------	--	---	--------------------	--	--

मुख्य अभियन्ता (सज्जा एवं सामग्री प्रबन्ध) लखनऊ।

13	सामग्री प्रबन्ध प्रकोष्ठ के अन्तर्गत परियोजना भण्डार खण्ड, कानपुर	सी०पी० 414/2019	श्री शेष नरायण त्रिपाठी अधी० अभि० से० नि०,	श्री टी० वेंकटेश, प्रमुख सचिव, सिंचाई व अन्य		मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा रिट याचिका सं०- 1218/2017 में पारित आदेश दिनांक-05-09- 2019 के अनुसार याची को सेवानिवृत्तिक लाभों के बकाये की धनराशि रु०-6,62,367.00 एवं अवकाश नकदीकरण के बकाये की धनराशि रु०- 75,160,00 पर दिनांक- 14-12-2011 से दिनांक- 14-02-2017 तक की अवधि हेतु वादी को 8.5		याची को भुगतान की जाने वाली धनराशि वित्त नियंत्रण द्वारा अनुमोदनोपरान्त शासन से स्वीकृति हेतु अपेक्षित है। प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।	अनु०-1
----	--	--------------------	---	--	--	--	--	--	--------

						प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज देने का आदेश पारित है।			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि०प्र०)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशाली अभियन्ता (वि०प्र०)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि० प्र०)

(के० बी० लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

अद्यतन मासिक सूचना जुलाई, 2021

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ
मा० न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र० सं०	माह जनवरी 2012 से माह जुलाई 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह जुलाई 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1461	1101	2562	1349	985	2334	86	52	138	27 वाद मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 63 वाद मा० उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 27+63 = 90

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि० प्र०)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशायी अभियन्ता (वि० प्र०)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि० प्र०)

(के० बी० लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)

विभाग का नाम- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ
मा0 न्यायालयों में योजित वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने विषयक मासिक सूचना

क्र0 सं0	संगठन	माह जनवरी 2012 से माह जुलाई 2021 तक उच्च न्यायालय में योजित (लम्बित) वादों की कुल संख्या			माह जनवरी 2012 से माह जुलाई, 2021 तक उच्च न्यायालय में दाखिल प्रतिशपथ पत्रों की कुल संख्या			माह के अन्त में बचे ऐसे वादों की संख्या जिनमें प्रतिशपथ पत्र लगाये जाने शेष है।			अभियुक्ति
		इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	इलाहाबाद	लखनऊ	योग	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
											10
1	मु0अ0, अग्रिम नियो0, लखनऊ	1	19	20	1	19	20	0	0	0	
2	मु0अ0, परिकल्प, लखनऊ	0	11	11	0	10	10	0	1	1	
3	मु0अ0,अनु0 एवं नियो0 (बाढ),लखनऊ	0	4	4	0	4	4	0	0	0	
4	मु0अ0,अनु0एवंसम0वा0सहा0 लखनऊ	3	7	10	3	7	10	0	0	0	
5	मु0अ0, अनु0एवं मूल्यांकन लखनऊ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	मु0अ0, गण्डक, गोरखपुर	103	24	127	91	23	114	12	1	13	
7	मु0अ0शारदा सहा0 लखनऊ	59	216	275	50	142	192	2	18	20	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 07 वादों में तथा मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच में 56 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। (07+56=63)
8	मु0अ0, मध्य गंगा, अलीगढ़	163	25	188	163	25	188	0	0	0	
9	मु0अ0, सरयू-1, अयोध्या	3	121	124	3	114	117	0	2	2	1- 02 वाद में सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं। 2- 03 वाद अंतिम रूप से निस्तारित अतः सी0ए0 दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
10	मु0अ0, पूर्वीगंगा, मुरादाबाद	89	12	101	73	12	85	3	0	3	मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में 13 वादों में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
11	मु0अ0, परि0वेतवा, झांसी	103	12	115	87	11	98	16	1	17	
12	मु0अ0, जल संसाधन, लखनऊ	4	4	8	4	3	7	1	0	1	
13	मु0अ0,रामगंगा, कानपुर	143	15	158	139	14	153	4	1	5	
14	मु0अ0, शारदा, बरेली	21	125	146	19	118	137	2	7	9	
15	मु0अ0,बाणसागर, प्रयागराज	21	3	24	21	3	24	0	0	0	
16	मु0अ0, सोन, वाराणसी	226	22	248	203	19	222	23	3	26	

17	मु0अ0,सरयू-2, गोण्डा	32	38	70	29	33	62	3	5	8	प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने की कार्यवाही की जा रही है।
18	मु0अ0, बेतवा, झांसी	40	8	48	40	8	48	0	0	0	
19	मु0अ0, गंगा, मेरठ	9	0	9	0	0	0	9	0	9	
20	मु0अ0कनहर, मिर्जापुर	24	1	25	24	1	25	0	0	0	
21	मु0अ0, आई0एस0ओ0, लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
22	नि0उ0प्र0जल एवं भू0प्र0सं0 लखनऊ	0	1	1	0	1	1	0	0	0	
23	मु0अ0, यमुना ओखला नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	मु0अ0, राज्य अभियन्त्रण अकादमी, ओखला, नई दिल्ली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य है।
25	मु0अ0, नलकूप मध्य, लखनऊ	33	147	180	32	142	174	1	5	6	
26	मु0अ0, नलकूप बाराणसी	139	24	163	134	23	157	5	1	6	
27	मु0अ0, नलकूप पूर्व, अयोध्या	38	133	171	36	131	167	2	2	4	
28	मु0अ0, नलकूप पश्चिम, मेरठ	171	111	282	168	106	274	3	5	8	
29	मु0अ0, सज्जा एवं सामग्री, लखनऊ	36	17	53	29	15	44	0	0	0	07 बादों मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में एवं 02 मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं।
30	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अलीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	मु0अ0, अनु0 एवं नियो0, अयोध्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		1461	1101	2562	1349	985	2334	86	52	138	27 बाद मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में तथा 63 बाद मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ लखनऊ में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है। कुल 27+63=90

प्रतिहस्ताक्षरित

(विक्रान्त कुमार)
सहायक अभियन्ता (वि0 प्र0)

(देवेन्द्र कुमार सहाय)
अधिशासी अभियन्ता (वि0 प्र0)

(कुमार विप्लव)
अधीक्षण अभियन्ता (वि0 प्र0)

(के0 बी0 लाल)
मुख्य अभियन्ता (परिवाद)